

28⁶/₂₂ पत्रावली-पेश हुई । कोर्ट भी उपठ
नहीं । वादी व वादी वकील को बार-बार
आवाज लगायी गयी । कोर्ट भी उपठ नहीं
आये । वादी व वादी वकील के वाक्य
सूचना अनु० रहने से पत्रावली उदर
हाफरी अदम पेशवी में स्वारिज किया
जाता है पत्रावली केसल शुमार व अर
वमबर से कम है । वाद प्रति दारिज
दफतर है ।

सहायक कलेक्टर
करोर (अलवर) राज.